

न्यायालय लखनऊ कलकत्ता (अलवर) राज.

सदरकार जरिसे रिपोर्ट पटवारी हलका अरुआ पंचनाम मीम पूजा प्रभाती जाट

एकदम अन्तगत नाम आपलकार हुअट

प्रकरण संख्या - RA/75/2010.

निर्णय दिनांक :- 29/3/19

प्रस्तावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि नाम खैरली तर्फ रेला

की आवाइज नं. 16/0.19 मुकदमा नं. 0-19 विवाह जमान गैणमु० नं से 0-0

रकम पर की मीम सी० प्रभाती जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर

धुआ/मकडी

काया कर लिया है। इस पर पटवारी हलका अरुआ द्वारा दिनांक

27/8/18 को चरणों विरुद्ध याचनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट गय जारी कर

शु.अ.निरी. वारोदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया

जाकर अतिक्रमण मीम सी० प्रभाती जाति जाट निवासी खैरली तर्फ रेला को भू.

राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील

करवाई गई। नोटिस वाच तामील प्राप्त होने पर याचनी प्रस्तुत किये गया। अतिक्रमण

उपस्थित आया। जमान गैणमु० नं से 0.019 नं से 0.0

रकम किये गैणमु० नं से 0.019 नं से 0.0 के निर्यात के लिए खैरली तर्फ रेला को अतिक्रमण

रकम से वेदखल किये जाने के आदेश दिए जाते हैं पर चण्ड स्वरूप जमान 6 Paize का

50 गुणा 31 रकम पैनल्टी आसपित की जाती है मांग किये गये हेतु सीआए को लिखा

जावे, पैनल्टी वशूली एवं वेदखली हेतु हलका पटवारी अरुआ शु.अ.निरी.

वारोदा को लिखा जाकर याद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में

सुनाया गया।

न्यायालय  
कलकत्ता (अलवर) स

अतिरिक्त :- प. ६